न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी: पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 00048 / 2020
उनवान मुकदमा

1. राजेश पिता स्व. गौतम कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
2. प्रकाश पिता स्व. गौतम कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
3. छगन पिता स्व. गौतम कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
4. पप्पु पिता स्व. गौतम कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
5. श्रीमती कान्ता पत्नी स्व. गौतम कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
6. विष्णु पिता स्व. लक्ष्मण कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
7. देवीलाल पिता स्व. लक्ष्मण कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
8. श्रीमती उषा पत्नी स्व. लक्ष्मण कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
9. दिनेश पिता स्व. बदिया कटारा, जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
10. विनोद पिता स्व. बदिया कटारा, जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
11. सुनील पिता स्व. बदिया कटारा, जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
12. श्रीमती रतन पत्नी स्व. बदिया कटारा, जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
13. सुरज पिता स्व. हिरजी कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
14. राजु पिता स्व. हिरजी कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
15. श्रीमती चम्पा पत्नी स्व. हिरजी कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
16. संजय पिता स्व. बापु कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
17. बबलु पिता स्व. बापु कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
18. राकेश पिता स्व. बापु कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)
19. श्रीमती सविता पत्नी स्व. बापु कटारा जाति भील निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.06.16 12:54:03 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

समीर पिता स्व. सलिम जाति मुसलमान निवासी पाला मस्जिद के पास, बांसवाड़ा जिला बांसवाडा(राज)

अप्रार्थी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>प्रार्थीगण वकील : श्री महेन्द्र सिंह</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक :–05–10–2020

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि खाता संख्या 243 नया पुराना 226 के खसरा नम्बर 195 रकबा 0.16 बिस्वा, किस्म बे. द्वितीय, खसरा नम्बर 2508/197 रकबा 3.03 बिस्वा कुल खेत 2 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बांसवाड़ा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से कब्जा व स्वामित्व रखते हुए उसका उपयोग व उपभोग कर रहे है तथा अपने हिस्से का लगान अदा कर रह है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण के भरण पोषण का जरिया है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना अनुसार दिनांक 15.08.2020 को सुबह 10.00 बजे अप्रार्थी व उसके सहयोगीगण ने उक्त उल्लेखित कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर अपने साथ मजदुर लाकर जबरन प्रार्थीगण के खेत में साफ–सफाई कर प्लॉटिंग करने हेतु सिमेन्ट के मुटाम बनाने लगे जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने मौके पर पहुचकर अप्रार्थी व उसके सहयोगीगण द्वारा किये जा रहे अवैध कार्य को रोका तो अप्रार्थी व उसके सहयोगीगण प्रार्थीगण के साथ गाली–गलोच कर मरने–मारने को उतारू हो गये तथा प्रार्थीगण को धमकीया देने लगे कि यह जमीन मेरी है अगर दुबारा इस जमीन पर आये तो तुम लोगों को जान से खत्म कर दूंगा। अप्रार्थी द्वारा मौके पर अनवरत अवैध रूप से प्रार्थीगण की जमीन पर प्लॉटिंग का कार्य कर अवैध रूप से बेचान करने का प्रयास करने के कारण प्राथीगण द्वारा अविलम्ब लिमिटेशन प्रावधानों के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थीगण की संयुक्त खाते की कृषि भूमि के खाता संख्या 243 नया पुराना 226 के खसरा नम्बर 195 रकबा 0.16 बिस्वा, किस्म बे. द्वितीय, खसरा नम्बर 2508/197 रकबा 3.03 बिस्वा कुल खेत 2 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बांसवाड़ा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित पर अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप निर्माण कार्य करने से अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम दिनांक 14.09.2020 को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को लेने से इन्कार किये जाने पर दो गवाहो के समक्ष नोटिस चस्पा की कार्यवाही किये जाने से नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। नोटिस बादतामिल के बाद पेशी दिनांक 29.09.2020 एवं 05.10.2020 को अप्रार्थी व उसकी ओर से कोई उपस्थिति नही हुआ। आज दिनांक 05.10.2020 को

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.06.16 12:54:03 IST
Reason: SelfAttested

सायं 4 बजे तक इन्तजार कर दो बार पुनः आवाज लगाई गई। उसके पश्चात भी न तो अप्रार्थी समीर उपस्थित हुआ। न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। इस कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफ कार्यवाही के आदेश दिये गये।

पत्रावली पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता से बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील श्री महेन्द्र सिंह ने अपने कथन में बताया कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के निजी खातेदारी कृर्षि भूमि होकर प्रार्थीगण के नाम से सयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है तथा दिनांक 15.08.2020 को सुबह 10 बजे अप्रार्थी व उसके सहयोगी प्रार्थीगण के खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर प्लोटिंग करने हेतु सिमेन्ट के मुटाम लगाकर अवैध निर्माण कार्य कर रहे है। जिसके समर्थन में प्रार्थीगण ने मौके के फोटो प्रस्तुत किये है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य को देखते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत फर्द दस्तावजों में जमाबन्दी संवत 2070–2073 एवं विवादग्रस्त भूमि पर अवैध निर्माण सिमेन्ट के मुटाम का फोटो ग्राफ्स प्रस्तुत किये है। जमाबन्दी अनुसार संयुक्त खातेदार कृषि भूमि व फोटोग्राफ्स अनुसार सिमेन्ट के निर्माण कार्य को दशार्या जाना प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अवैध निर्माण कार्य कर रहा है। इस निमार्ण कार्य को देखते हुए कि विवाद आगे नही बढे इस कारण प्रार्थीगण के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि खाता संख्या 243 नया पुराना 226 के खसरा नम्बर 195 रकबा 0.16 बिस्वा, किस्म बे. द्वितीय, खसरा नम्बर 2508/197 रकबा 3.03 बिस्वा कुल खेत 2 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बांसवाड़ा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित पर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि अप्रार्थी व उसके सहयोगीगण प्रार्थीगण की कृषि भूमि में शान्तिपूर्ण काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नही करे व मौके पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य नही करे व न ही किसी प्रकार का लडाई झगड़ा न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य करावे।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05–10–2020 को सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.06.16 12:54:03 IST
Reason: SelfAttested